रंजीत सिंह

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1458/2008)

11 सितंबर, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधिपतिगण]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 - धारा 20 - की प्रयोज्यता-अभियुक्त को 1993 में आईपीसी के अंतर्गत अपराध के लिये मुकदमा चलाया गया - घटना की तारीख को आरोपी की आयु 16 वर्ष से अधिक - अभिनिर्धारित : धारा 20 उस अवधि से संबंधित मामलो से संबंधित है जब अधिनियम 1986 लागू था - यह प्रावधान करती है कि कार्यवाही इस तरह जारी रहेगी जैसे कि अधिनियम 2000 अस्तित्व में नहीं है - भले ही किशोर की परिभाषा 18 वर्ष की आयु निर्धारित करके बदल दी गई हो, कार्यवाही इस आधार पर जारी रहेगी कि अभियुक्त अधिनियम 1986 के तहत किशोर था - इस प्रकार अभियुक्त को कानूनी रूप से 18 वर्ष की लागू आयु लेने की अनुमति नहीं है - किशोर न्याय अधिनियम, 1986।

वर्ष 1993 में, अपीलार्थी-अभियुक्त पर आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने का मुकदमा चलाया गया था। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 और 452 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अपीलकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालयो मे तर्क दिया कि वह किशोर न्याय (बच्चोकी देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के संदर्भ में किशोर था। इस प्रकार अधिनियम 2000 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिये और किसी भी स्थिति में, किशोर न्याय अधिनियम,

1986 लागू था। हालांकि, अधीनस्थ न्यायालयो ने कोई निश्चित निष्कर्ष दर्ज नहीं किया। इसलिये वर्तमान अपील।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि हालांकि अधीनस्थ न्यायालयो के समक्ष यह दिखाने के लिये सामग्री रखी गई थी कि आरोपी अपीलकर्ता किशोर था, लेकिन यह उस पहलू से पर्याप्त रूप से निपट नहीं पाया।

प्रतिवादी -राज्य ने तर्क दिया कि आरोपी अपीलकर्ता के मामले के अनुसार भी, वह घटना के समय करीब 17 वर्ष की आयु का था और इस प्रकार अधिनियम 1986 उस पर लागू नहीं होता था; अधिनियम 1986 की प्रयोज्यता लाने के लिये, घटना के समय अभियुक्त की आयु 16 वर्ष या उससे कम होनी चाहिये; घटना के समय अभियुक्त अपीलकर्ता की आयु 16 वर्ष से अधिक थी; कि अधिनियम 2000 द्वारा आयु बढाकर 18 वर्ष कर दी गई है; और कि अधिनियम 2000 की धारा 20 प्रासंगिक थी।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुये अभिनिर्धारित किया :

किशोर न्याय (बच्चो की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 20 किसी भी तरह से अपीलकर्ता की मदद नहीं करती है। यह उन मामलो से निपटता है जहां कार्यवाही उस अवधि से संबंधित है जब 1986 अधिनियम लागू था। धारा 20 में यह प्रावधान है कि कार्यवाही ऐसे जारी रहेगी जैसे कि अधिनियम अस्तित्व में ही नहीं है। इसे अलग तरीके से कहें तो, भले ही अधिनियम के तहत, "किशोर" की परिभाषा में 18 वर्ष की आयु तय करके बदलाव किया गया हो, कार्यवाही इस आधार पर जारी रहेगी कि आरोपी 1986 अधिनियम के तहत किशोर था। अपीलकर्ता का तर्क स्थिति को उलटने का है अर्थात लागू आयु 18 वर्ष माने। यह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। (पैरा 8) [336 एफ-जी]

जमील बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 (2) स्केल 32 - भरोसा व्यक्त किया गया।

न्यायिक निर्णय संदर्भ

2007 (2) स्केल 32 इस पर भरोसा किया पैरा 9

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1458/2008

(आपराधिक अपील संख्या 682-डीबी/1997 में पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 14/2/2007 आदेश से)

संजय राठी, जमशेद बे, नेहा गौर और परमानंद गौर, अपीलार्थी के लिए ।

देविंदर प्रताप सिंह, ए. ए. जी., नरेश बख्शी, प्रतिवादी के लिये ।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपील के समर्थन में आग्रह किया गया एकमात्र बिंदु यह था कि अपीलार्थी अपराध के समय एक किशोर था और इसलिये किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रावधान (संक्षेप में "अधिनियम") का इस मामले के तथ्यों पर अनुप्रयोग था।

3. उठाए गए सीमित विवाद को देखते हुए तथ्यात्मक पहलुओं में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी को तीन सह अभियुक्तो के साथ एक वजीर सिंह (इसके बाद मृतक के रूप में संदर्भित) की दिनांक 1/8/93 को हत्या के लिये भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भादंसं') की धारा 452/302 और 323 सपठित 34 के तहत दंडनीय अपराधो के क्रियान्वयन के लिये अन्वीक्षा का सामना करना पडा। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक, हरियाणा ने आरोपी रंजीत सिंह और जय सिंह को भादंसं की धारा 302 और 452 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी

ठहराया और प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास और 5,000/-रूपये जुमाना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर भादंसं की धारा 302 के तहत एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा, साथ तीन साल का कठोर कारावास और 1,000/- रूपये का जुर्माना भरना होगा और जुर्माना ना भरने की स्थिति में आगे तीन महीने के कठोर कारावास की सजा धारा 452 भादंसं के अंतर्गत भुगतनी होगी। आरोपी शेर सिंह को भी भादंसं की धारा 323 और 452 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसे तीन साल के लिए कठोर कारावास और 1 हजार रूपयेका जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी और जुर्माने का भुगतान न करने पर भादंसं की धारा 452 के तहत तीन महीने के लिए और कठोर कारावास से गुजरना होगा और साथ ही 6 महीने के लिये कठोर कारावास की सजा और 500/- रूपये जुर्माना देने की सजा सुनाई और जुर्माना ना देने की स्थिति में भादंसं की धारा 323 के अंतर्गत एक महीने के लिए और कठोर कारावास से गुजरना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलाने के लिए निर्देशित किया गया था। अभियुक्त बंतो उर्फ सत्यवती को संदेह का लाभ देकर सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

4. सभी आरोपी व्यक्ति, अर्थात् रंजीत सिंह, जय सिंह और शेर सिंह ने आपराधिक अपील संख्या 682-डीबी/1977 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, आरोपी जयसिंह की मृत्यु हो गई। इस कारण से, जहां तक उनका संबंध है, अपील स्थगित कर दी गई। उच्च न्यायालय ने शेरसिंह की सजा को पहले ही भुगत ली गई अवधि तक कम कर दिया।

5. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलार्थी ने यह रुख अपनाया कि अधिनियम के संदर्भ में वह किशोर है, इसलिये मुकदमा अधिनियम

के तहत दिये गये प्रावधानो के अनुसार संचालित किया जाना चाहिये और किसी भी स्थिति में, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (संक्षेप में "1986 अधिनियम") में, लागू होता है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा उसके इस तर्क के संबंध में दीगई दलीलो पर गौर किया कि वह किशोर है। इसके अलावा, प्रस्तुत किये गये सबूतो का भी उल्लेख किया गया था, लेकिन जहां तक आरोपी का संबंध है, अधिनियम 1986 या अधिनियम की प्रयोज्यता के सबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था।

6. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि विचारण अदालत और उच्च न्यायालय के समक्ष यह दिखाने के लिए सामग्री रखी गई थी कि अभियुक्त अपीलार्थी एक किशोर था, उस पहलू से, विचारण अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पर्याप्त रूप से निपटा नहीं गया था।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिये गये तर्को के जवाब में, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील का कहना है कि, अभियुक्त अपीलकर्ता के मामले के अनुसार, घटना के समय उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी और, इसलिये 1986 का अधिनियम उस पर लागू नहीं होता। 1986 अधिनियम की प्रयोज्यता लाने के लिये, घटना के समय अभियुक्त की आयु 16 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए थी। माना जाता है कि घटना के समय अभियुक्त-अपीलार्थी की आयु 16 वर्ष से अधिक थी। अधिनियम के अनुसार, आयु बढाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 20 प्रासंगिक है। वह निम्न प्रकार पठनीय है-

"20. लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान- इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जिस तारीख को यह अधिनियम उस क्षेत्र में लागू होता है उस दिन किसी भी क्षेत्र की किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में सभी

कार्यवाहियां उस अदालत में जारी रखी जायेगी जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था और यदि अदालत को पता चलता है कि किशोर ने कोई अपराध किया है, तो यह ऐसे निष्कर्ष को रिकॉर्ड करेगा और किशोर के संबंध में कोई सजा पारित करने के बजाय, किशोर को बोर्ड को अग्रेषित करेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार उस किशोर के संबंध में आदेश पारित करेगा जैसे कि वह संतुष्ट हो गया है। इस अधिनियम के तहत जांच करने पर कि एक किशोर ने अपराध किया है।

बशर्ते कि बोर्ड, आदेश में उल्लिखित किसी पर्याप्त और विशेष कारण के लिये, मामले की समीक्षा कर सकता है और ऐसे किशोर के हित में उचित आदेश पारित कर सकता है।

स्पष्टीकरण - किसी भी अदालत में कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के संबंध में अन्वीक्षा, पुनरीक्षण अपील या किसी अन्य आपराधिक कार्यवाही सहित सभी लंबित मामलो में, ऐसे किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (1) के अनुसार किया जायेगा। भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथी पर या उससे पहले नही रहे और इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे लागू होगे जैसे कि उक्त प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिये और सभी भौतिक समय पर लागू थे जब कथित अपराध हुआ था।"

8. अधिनियम की धारा 20 किसी भी तरह से अपीलकर्ता की मदद नहीं करती है। यह उन मामलों से संबंधित है जहां एक से संबंधित है जहां कार्यवाही उस अवधि से संबंधित है जब 1986 का अधिनियम लागू था। धारा 20 में यह प्रावधान है कि कार्यवाही ऐसे जारी रहेगी जैसे कि अधिनियम (अर्थात अधिनियम 2000) अस्तित्व में ही नहीं है। इसे अलग ढंग से कहे तो, भले ही "किशोर" की परिभाषा के तहत उम्र 18 वर्ष तय करके बदलाव किया गया हो, कार्यवाही इस आधार पर जारी रहेगी कि आरोपी

1986 अधिनियम के तहत किशोर था। अपीलकर्ता का तर्क है कि स्थिति को उलट दिया जाये यानि कि लागू आयु 18 वर्ष कर दी जाये। यह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

9. जमील बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007 (2) स्केल 32) में यह निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया थाः

> "9. इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि हालांकि घटना की तारीख पर अपीलकर्ता की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी, लेकिन 18 वर्ष से कम थी, किशोर न्याय (बच्चो की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संक्षेप में 2000 का अधिनियम), के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुये, इसमें निर्धारित प्रक्रियाओ का पालन करना न्यायालय के लिये अनिवार्य था।"

13. जहाँ तक अधिनियम 2000 की प्रयोज्यता के संबंध में विद्वान वकील की प्रस्तुति का सवाल है, यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी ने घटना की की तारीख पर 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी। अपराध 16/12/1989 को किया गया है, अधिनियम 2000 का कोई अनुप्रयोग नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम, 1986, के संदर्भ में "किशोर" का अर्थ था "एक लड़का जिसने सोलह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी या एक लडकी जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी।"

10. उपरोक्त स्थिति होने के कारण, अपील निराधार है और खारिज की जाती है।

एन.जे.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।